



भारत का राजपत्र The Gazette of India

xxxGIDHxxx

सी.जी.-जे.एच.-अ.-31072025-265137

CG-JH-E-31072025-265137

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 448]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 24, 2025/श्रावण 2, 1947

No. 448]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 24, 2025/SHRAVANA 2, 1947

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

(खान सुरक्षा महानिदेशालय)

अधिसूचना

धनबाद, 22 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 491(अ).—कोयला खान विनियम, 2017, के विनियम 12(1) और 12(4) के प्रावधानों के अनुसरण में, गैस परीक्षण सक्षमता प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए, खनन परीक्षा बोर्ड द्वारा उपनियम निम्नानुसार निर्धारित किए गए हैं:-

1.0 प्रयोज्यता:

गैस परीक्षण सक्षमता प्रमाण पत्र खनन इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा या केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य समकक्ष योग्यता प्रदान करने वाले सरकारी तकनीकी संस्थान द्वारा और व्यावसायिक प्रशिक्षण नियम, 1966 या इसके संशोधित/नए संस्करण के तहत भूमिगत खदानों की जरूरतों को पूरा करने वाले समूह व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों (जीवीटीसी)/व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों (वीटीसी) द्वारा जारी किया जाएगा।

2.0 पात्रता मानदंड:

2.1 अभ्यर्थी के पास खनन इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा या केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अनुमोदित अन्य समकक्ष योग्यता है या अभ्यर्थी इस योग्यता के लिये अध्ययन करता है।

2.2 अभ्यर्थी के पास खनन इंजीनियरिंग में डिग्री/डिप्लोमा नहीं है और केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य समकक्ष योग्यता भी नहीं है, लेकिन वह भूमिगत खदान में कार्यरत है/ कार्यरत था और सरदार के सक्षमता प्रमाण

पत्र के लिए उपस्थित हो रहा है या सुरक्षा लैपों के रखरखाव और जांच के लिए सक्षम व्यक्ति के रूप में नियुक्त किया जाना है या भूमिगत री-लाइटींग स्टेशनों के प्रभारी के रूप में नियुक्त किया जाना है।

2.3 खदानों या जीवीटीसी/वीटीसी में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अधिकृत व्यक्ति जैसे पोस्ट डिप्लोमा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (पी.डी.पी.टी), पोस्ट ग्रेजुएशन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (पी.जी.पी.टी) आदि।

3.0 जारी करने वाला प्राधिकारी:

3.1 खनन इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा या केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अनुमोदित अन्य समकक्ष योग्यता प्रदान करने वाले सरकारी तकनीकी संस्थानों के परीक्षा नियंत्रक और विभागाध्यक्ष (खनन) केवल उस संस्थानों की छात्रों को।

3.2 खान के मालिक/एजेंट, प्रबंधक और व्यावसायिक प्रशिक्षण नियम, 1966 या इसके संशोधित/नए संस्करण के अंतर्गत बनाए गए भूमिगत खदान को सेवा देने वाला समूह व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों/व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों के प्रभारी/व्यावसायिक प्रशिक्षण अधिकारी अपने कर्मचारि को जिनके पास खनन इंजीनियरिंग में डिग्री/डिप्लोमा नहीं है और केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य समकक्ष योग्यता भी नहीं है, लेकिन वह भूमिगत खदान में कार्यरत है/ कार्यरत था और सरदार के सक्षमता प्रमाण पत्र के लिए उपस्थित हो रहा है या सुरक्षा लैपों के रखरखाव और जांच के लिए सक्षम व्यक्ति के रूप में नियुक्त किया जाना है या भूमिगत री-लाइटींग स्टेशनों के प्रभारी के रूप में नियुक्त किया जाना है।

3.3 खान के मालिक/एजेंट, प्रबंधक और व्यावसायिक प्रशिक्षण नियम, 1966 या इसके संशोधित/नए संस्करण के अंतर्गत बनाए गए भूमिगत खदान को सेवा देने वाला समूह व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों/व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों के प्रभारी/व्यावसायिक प्रशिक्षण अधिकारी, उनकी खदानों या जीवीटीसी/वीटीसी में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्राधिकृत व्यक्तियों को जैसे पोस्ट डिप्लोमा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (पीडीपीटी), पोस्ट ग्रेजुएशन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (पीजीपीटी) आदि।

4.0 उम्मीदवार की पहचान:

अभ्यर्थी को उसके मूल पहचान-पत्र से सत्यापित किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह संस्थान में नामांकित है या जीवीटीसी/वीटीसी में नामांकित है या जीवीटीसी/वीटीसी के अधिन खदान में नामांकित है, जैसा भी मामला हो। सरदार के सक्षमता प्रमाण पत्र के लिए उपस्थित होने वाले या सुरक्षा लैपों के रखरखाव और जांच के लिए सक्षम व्यक्ति के रूप में नियुक्त होने वाले खान के कर्मचारी, प्रबंधन को इस आशय का एक घोषणा-पत्र देना होगा।

5.0 सुविधाएं और अवसंरचना:

5.1 सरकारी तकनीकी संस्थान और समूह व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र/व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र खान अधिनियम, 1952 या इसके संशोधित/नए संस्करण के तहत गैस परीक्षण सक्षमता प्रमाण पत्र जारी करने से पहले मुख्य खान निरीक्षक (सीआईएम) को "अनुलग्नक-1" के अनुसार विधिवत भरा हुआ प्रोफार्मा रिकॉर्ड के लिए प्रस्तुत करेंगे।

5.2 यदि आवश्यक हो, तो तकनीकी संस्थान/जीवीटीसी/वीटीसी द्वारा प्रस्तुत जानकारी को निरीक्षक या इस उद्देश्य के लिए सीआईएम द्वारा नियुक्त इस निदेशालय की ओर से अधिकृत व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जा सकता है।

5.3 तकनीकी संस्थान/जीवीटीसी/वीटीसी की असंतोषजनक सत्यापन रिपोर्ट वाले सभी दस्तावेजों की समीक्षा की जाएगी और यदि आवश्यक हो तो सुधार के लिए संस्थान/जीवीटीसी और वीटीसी के मालिक को संबोधित किया जाएगा।

6.0 गैस परीक्षण योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान करना:

6.1 तकनीकी संस्थान/जीवीटीसी/वीटीसी खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियम, 1966 या इसके संशोधित/नए संस्करण की आठवीं अनुसूची में निर्धारित अनुसार कम से कम 07 (सात) दिनों की सैद्धांतिक और व्यावहारिक कक्षाएं संचालित करेगा और सफल अभ्यर्थी को गैस परीक्षण में व्यावहारिक अनुभव प्रमाण पत्र जारी करेंगे।

6.2 तकनीकी संस्थान द्वारा गैस परीक्षण में व्यावहारिक अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के बाद, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, संस्थानों के परीक्षा नियंत्रक और विभागाध्यक्ष (खनन) अपने संस्थान के सफल अभ्यर्थी को संस्थान से खनन इंजीनियरिंग में अपनी संबंधित डिग्री या डिप्लोमा सफलतापूर्वक पूरा करने पर खान अधिनियम, 1952 या इसके संशोधित/नए संस्करण के तहत गैस परीक्षण सक्षमता प्रमाण पत्र अनुलग्नक-III के अनुसार जारी करेंगे।

6.3 जीवीटीसी/वीटीसी द्वारा खदान के कर्मचारियों को गैस परीक्षण में व्यावहारिक अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के बाद, जैसा कि बिंदु संख्या 2.2 में उल्लेख किया गया है, खदान के मालिक/एजेंट, प्रबंधक और जीवीटीसी/वीटीसी के प्रभारी अभ्यर्थी का खान गैसों की उपस्थिति का परीक्षण करने का सक्षमता उचित परीक्षण द्वारा सुनिश्चित करने के बाद सफल अभ्यर्थी को खान अधिनियम, 1952 या इसके संशोधित/नए संस्करण के तहत गैस परीक्षण सक्षमता प्रमाण पत्र अनुलग्नक-III के अनुसार जारी करेंगे।

6.4 जीवीटीसी/वीटीसी द्वारा गैस परीक्षण में व्यावहारिक अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के बाद, खदान के मालिक/एजेंट, प्रबंधक और जीवीटीसी/वीटीसी के प्रभारी अपने खदानों या जीवीटीसी/वीटीसी में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अधिकृत अभ्यर्थी जैसे कि पोस्ट डिप्लोमा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (पीडीपीटी), पोस्ट ग्रेजुएशन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (पीजीपीटी) आदि को खान अधिनियम, 1952 या इसके संशोधित/नए संस्करण के तहत गैस परीक्षण सक्षमता प्रमाण पत्र अनुलग्नक-III के अनुसार जारी करेंगे।

7.0 जारी करने वाले प्राधिकारी के कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ:

7.1 जारी करने वाला प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि गैस परीक्षण सक्षमता प्रमाण पत्र केवल योग्य उम्मीदवारों को ही उचित प्रशिक्षण और/या परीक्षण के बाद जारी किया जाए।

7.2 जारी करने वाला प्राधिकारी उन अभ्यर्थियों का सटीक और विस्तृत विवरण जैसे की अभ्यर्थी का नाम, प्रमाण-पत्र संख्या, जारी करने की तारीख आदि का रिकार्ड बद्ध पृष्ठांकित रजिस्टर या गैर-संपादन योग्य इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखेगा, जिन्हें गैस परीक्षण सक्षमता प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

7.3 जारी करने वाला प्राधिकारी इस निदेशालय को उन अभ्यर्थियों का विवरण प्रस्तुत करेगा, जिन्हें गैस परीक्षण सक्षमता प्रमाण पत्र जारी किया गया है, साथ ही जारी किए गए प्रमाण-पत्रों की सत्य एवं प्रमाणित रंगीन प्रतियां भी प्रस्तुत करेगा।

7.4 जारी किए गए गैस परीक्षण सक्षमता प्रमाण पत्र की किसी भी समय ऑनलाइन पुनर्प्राप्ति और सत्यापन हेतु, जारी करने वाला प्राधिकारी इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के भीतर इस निदेशालय को सूचित करते हुए, एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित करेगा।

8.0 हालाँकि, खान अधिनियम, 1952 और/या इसके अधीनस्थ नियमों, विनियमों और उपनियमों में किए गए कोई भी संशोधन गैस परीक्षण सक्षमता प्रमाण पत्र प्रदान करते समय लागू होंगे।

यदि उपनियमों के अंग्रेजी और हिंदी संस्करणों के बीच कोई भिन्नता या संदेह है, तो उपनियमों का अंग्रेजी संस्करण हिंदी संस्करण पर लागू होगा।

[फा. सं. डीजीएमएस/परीक्षा/सीएमआर/उपनियम/2025/1]

उज्ज्वल ता, मुख्य खान निरीक्षक एवं अध्यक्ष, खनन परीक्षा बोर्ड।

अनुलग्नक-1

खनन इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा या केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य समकक्ष योग्यता प्रदान करने वाले सरकारी तकनीकी संस्थान द्वारा और व्यावसायिक प्रशिक्षण नियम, 1966 या इसके संशोधित/नए संस्करण के तहत भूमिगत खदानों की जरूरतों को पूरा करने वाले समूह व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों (जीवीटीसी)/व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों (वीटीसी) का विवरण।

1	सरकारी तकनीकी संस्थान/जीवीटीसी/वीटीसी का नाम:	
2	मालिक का नाम:	
3	क्षेत्राधिकार (क्षेत्र):	
4	स्थान:	
	पोस्ट:	
	ज़िला:	
	राज्य:	
	पिनकोड:	
5	परिवहन सुविधा:	
	संचार सुविधा:	
	फैक्स न०:	
	इंटरनेट सुविधा:	
	टेलीफोन नंबर:	
	सम्पर्क करने का विवरण:	
	लैंडलाइन नंबर:	
	प्रभारी का मोबाइल नंबर:	
	प्रभारी का ई-मेल आईडी:	
6.0	(आधारभूत संरचना/आवश्यकता जांच सूची)	
	सुविधाएँ	अभ्युक्ति
6.1	डार्करूम:	
6.2	डार्करूम में आधारभूत संरचना का विवरण जैसे कि: (i) एग्जॉस्ट फैन: (ii) प्रकाश व्यवस्था: (iii) गैस परीक्षण कक्ष: (iv) अग्निशमन उपकरण: (v) इत्यादी:	
6.3	फ्लेम सेफ्टी लैंप:	
6.4	अन्य अनुमोदित उपकरण/प्रणाली जैसे कि: मीथेनोमीटर *, मल्टीगैस डिटेक्टर, टॉक्सीमीटर*, ऑक्सीमीटर, एक्सप्लोसीमीटर *, CO डिटेक्टर, H ₂ S डिटेक्टर, N ₂ O डिटेक्टर, हाइड्रोकार्बन डिटेक्टर	

	आदि नोट: * अनिवार्य उपकरण हैं		
6.5	परीक्षण सुविधाएं		
6.6	प्रशिक्षण देने के लिए अधिकारियों की संख्या, जिसमें सी.एम.आर., 2017 के विनियम 179/एम.एम.आर, 1961 के विनियम 149 के तहत आवश्यक सक्षम व्यक्ति भी शामिल हैं:		
6.7	प्रासंगिक कानून और उपनियमों के बारे में अधिकारियों का ज्ञान:		
6.8	प्रशिक्षण केंद्र प्रभारी का नाम: नोट: सरकारी तकनीकी संस्थानों के मामले में, प्रभारी खनन अनुशासन से व्याख्याता के पद से नीचे नहीं होना चाहिए:		
6.9	संपर्क विवरण:		
6.10	उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधा:		
7	कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी:		

(जीभीटीसी या भीटीसी के प्रभारी / तकनीकी संस्थान के विभागाध्यक्ष (खनन) के हस्ताक्षर)

अनुलग्नक-II

गैस परीक्षण में व्यावहारिक अनुभव प्रमाणपत्र के लिए प्रोफार्मा PROFORMA FOR PRACTICAL EXPERIENCE CERTIFICATE IN GAS TESTING

संदर्भ सं./Ref. No.

तारीख/Date

यह प्रमाणित किया जाता है कि _____ (अभ्यर्थी का नाम) _____ (जिनका हस्ताक्षर नीचे संलग्न है), _____ का पुत्र/पुत्री को _____ से _____ तक खान के वातावरण में सामान्यतः उपस्थित गैसों को परीक्षण और पता लगाने का प्रशिक्षण दिया गया है और वह निम्नलिखित उपकरणों/संयंत्रों की कार्यप्रणाली से परिचित हैं:

This is to certify that _____ (Name of Candidate) _____ (whose signature is appended below) Son / Daughter of _____, has been trained in testing and detection of gases normally present in a mine environment from _____ to _____ and is familiar with the functioning of the following instruments/apparatus;

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- .
- .
- .

(कृपया गैस का पता लगाने वाले उपकरण का नाम बताएं (जैसे फ्लेम सेफ्टी लैंप*, मीथेनोमीटर*, मल्टीगैस डिटेक्टर, टॉक्सीमीटर*, ऑक्सीमीटर, एक्सप्लोसीमीटर*, CO डिटेक्टर, H₂S डिटेक्टर, N₂O डिटेक्टर, हाइड्रोकार्बन डिटेक्टर आदि)

(Please mention the name of gas detecting apparatus (e.g. Flame Safety Lamp*, Methanometer*, Multigas Detector, Toximeter*, Oximeter, Explosimeter*, CO Detector, H₂S Detector, N₂O Detector, Hydrocarbon detector etc.)

नोट / **Note:** * अनिवार्य उपकरण हैं/are mandatory apparatus

मेरी राय में वह खदान के वातावरण में सामान्यतः मौजूद गैसों की उपस्थिति का परीक्षण करने में सक्षम है/In my opinion he / she is able to test for the presence of gases normally present in a mine environment.

यह प्रमाण पत्र उन्हें खान अधिनियम, 1952 के तहत गैस परीक्षण सक्षमता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से जारी किया जा रहा है/This certificate is being issued to him / her for the purpose of obtaining **Gas Testing Competency Certificate** under The Mines Act, 1952.

तारीख/Date:

##(जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर /Signature of Issuing Official)

(व्यावसायिक प्रशिक्षण अधिकारी/जीभीटीसी/भीटीसी के प्रभारी/तकनीकी संस्थान के विभागाध्यक्ष/
(Vocational Training Officer/In-charge of VTC/GVTC/H.O.D. of Technical Institute)

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

(Signature of Candidate)

(जारीकर्ता अधिकारी की आधिकारिक मुहर /Official Seal of Issuing Official)

जारीकर्ता अधिकारी का नाम / Name of Issuing Official: _____

कंपनी/मालिक/तकनीकी संस्थान का नाम /Name of the Company/Owner/ Technical Institute: _____

पदनाम /Designation: _____

पूरा डाक पता /Complete Postal Address: _____

राज्य/State: _____ पिन कोड /Pin code: _____

उपरोक्त प्रमाणपत्र केवल तभी वैध माना जाएगा जब वह व्यावसायिक प्रशिक्षण नियम, 1966 के अंतर्गत संचालित व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र/समूह व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी, व्यावसायिक प्रशिक्षण अधिकारी या खनन इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा या केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अनुमोदित अन्य समकक्ष योग्यता प्रदान करने वाले सरकारी तकनीकी संस्थानों के विभागाध्यक्ष द्वारा जारी किया गया जहाँ खदान गैसों के परीक्षण हेतु आवश्यक अवसंरचना और प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध हो। उपर्युक्त अधिकारियों के अलावा किसी अन्य अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। व्यावहारिक अनुभव खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियम, 1966 की आठवीं अनुसूची या इसके संशोधित संस्करण में निर्धारित व्यावहारिक अनुभव से कम नहीं होना चाहिए और इस अनुबंध के अनुसार गैस परीक्षण में व्यावहारिक अनुभव प्रमाणपत्र ही स्वीकार किया जाएगा।

Above certificate shall be considered valid only if issued by Vocational Training Officer, in-charge of the Vocational Training Centre/ Group Vocational Training Centre maintained under Vocational Training Rules, 1966 or Technical Institution imparting Degree/Diploma in Mining Engineering or other equivalent qualification approved in that behalf by the Central Government having necessary infrastructure and training facility for testing of mine gases. Certificate issued by any official other than those mentioned above shall not be considered. Practical experience not less than as prescribed in the Eight Schedule of the Mine Vocational Training Rules, 1966 or its amended version and the practical experience certificate in gas testing as per this Annexure shall only be accepted.

अनुलग्नक-III

प्रमाण पत्र संख्या/
Cert. No. GT:



संस्थान/ जी०भी०टी०सी०/भी०टी०सी०का नाम*

Name of the Institution/GVTC/VTC*

खान विनियम, 1952/THE MINES ACT, 1952

गैस परीक्षण सक्षमता प्रमाण-पत्र

GAS-TESTING CERTIFICATE OF COMPETENCY

अभ्यर्थी का
तस्वीर/PHOTO
OF THE
CANDIDATE

श्री/ कुमारी / श्रीमती* XXXXXXXX XXXXXX

सुपुत्र / सुपुत्री / पत्नी* XXXXXXXX XXXXXX

जिनकी जन्म तिथि 19-अप्रैल -2001 है, को विहित आहर्ताएं एवं अनुभव प्राप्त करने पर गैस-परीक्षण सक्षमता प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है। यह प्रमाण पत्र 08-जनवरी-2025 से प्रभावी है।

Shri / Kumari / Smt. * XXXXXXXX XXXXXXXX

Son / Daughter / Wife of* XXXXXXXX XXX

born on 19-APRIL-2001 and possessing the prescribed qualifications and experience is hereby granted GAS- TESTING CERTIFICATE OF COMPETENCY. The certificate is effective from 08.01.2025.

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर
Signature of Candidate

परीक्षा नियंत्रक/जी०भी०टी०सी०/भी०टी०सी०का प्रभारी*

खनन

विभागाध्यक्ष/प्रबंधक*

Controller of Examination/ Incharge of GVTC/VTC*
Dept./Manager*

HoD of Mining

अभिकर्ता/मालिक*

Agent/Owner

हस्ताक्षर एवं मोहर/Signed and Sealed
दिनांक/Date

जीटी/GT

को/To

घर का पता /Home Address

ग्राम/Village -----
 डाकधर/PO -----
 थाना/Police Station -----
 जिला/District -----
 राज्य/State -----
 पिन-कोड/Pin code -----

*जो भी लागू न हो उसे हटा दें / काट दें

*Delete / strike out whichever is not applicable

घोषणा: संस्थान/जीवीटीसी/वीटीसी* द्वारा अभ्यर्थी को जरि किए गए यह गैस परीक्षण सक्षमता प्रमाण पत्र, खनन परीक्षा बोर्ड द्वारा जारी अन्य वैधानिक सक्षमता प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन करने हेतु वैध होगा।

गैस परीक्षण सक्षमता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए संस्थान/ जीवीटीसी/ वीटीसी* द्वारा प्रस्तुत आधारभूत संरचना और सुविधाओं से संबंधित दस्तावेजों के मिथ्याकरण के मामले में मौजूदा कानून के अनुसार दंडित किया जा सकता है।

Declaration: This Gas Testing Certificate of Competency issued to the candidate by the Institution/GVTC/VTCT* shall be valid for making application for other statutory certificates issued by the Board of Mining Examinations.

In case of falsification of the documents regarding infrastructure and facilities as submitted by the Institutions/GVTC/VTCT* for issue of the Gas Testing Certificate shall be liable to be punished as per the extant law.

परीक्षा नियंत्रक/जी०भी०टी०सी०/भी०टी०सी०का प्रभारी*

खनन

विभागाध्यक्ष/प्रबंधक*

Controller of Examination/ Incharge of GVTC/VTCT*
 Dept./Manager*

HoD of Mining

अभिकर्ता/मालिक*

Agent/Owner

द्वारा तैयार किया गया/Prepared by

द्वारा जाँचा गया /Checked by

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(Directorate General Of Mines Safety)

NOTIFICATION

Dhanbad, the 22nd July, 2025

G.S.R. 491(E).—In pursuance of the provisions of Regulation 12 (1) and 12 (4) of the Coal Mines Regulations, 2017, the Bye-laws for grant of Gas Testing Certificates of Competency, are stipulated by the Board of Mining Examinations as follows:-

1.0 Applicability:

The Gas Testing Certificate of Competency shall be issued by Government Technical Institution imparting Degree or Diploma in Mining Engineering or other equivalent qualification approved in that behalf by the Central Government and by the Group Vocational Training Centers (GVTC)/Vocational Training Centers (VTC) serving to the needs of belowground mines maintained under the Vocational Training Rules, 1966 or its amended/new version.

2.0 Eligibility Criteria:

2.1 Candidate studying or possessing Degree or Diploma in Mining Engineering or other equivalent qualification approved in that behalf by the Central Government.

2.2 Candidate not possessing Degree/Diploma in Mining Engineering or other equivalent qualification approved in that behalf by the Central Government but employed/had been employed in below ground mine and appearing for Sirdar's Certificate of competency or to be appointed as a competent person for maintenance and examination of safety lamps or to be appointed as in charge of Underground relighting stations.

2.3 Authorized candidate getting training in mines or GVTC/VTC like Post Diploma Practical Training (PDPT), Post Graduation Practical Training (PGPT) etc.

3.0 Issuing Authority:

3.1 Controller of Examinations and Heads of Departments (Mining) of Government Technical Institutions awarding Degree or Diploma in Mining Engineering or other equivalent qualification approved in this behalf by the Central Government, to the students of that institution.

3.2 Owner/Agent, Manager of the mine & In-charge/Vocational Training Officer of the Group Vocational Training Centre/Vocational Training Centre maintained under Vocational Training Rules, 1966 or its amended/new version & serving underground mine to its employees not possessing Degree/Diploma in Mining Engineering or other equivalent qualification approved in that behalf by the Central Government and appearing for Sirdar's Certificate of competency or to be appointed as a competent person for maintenance and examination of safety lamps or to be appointed as in charge of Underground relighting stations.

3.3 Owner/Agent, Manager of the mine & In-charge/Vocational Training Officer of the Group Vocational Training Centre/Vocational Training Centre maintained under Vocational Training Rules, 1966 or its amended/new version & serving underground mine to the authorized candidates getting training in their mines or GVTC/VTC like Post Diploma Practical Training (PDPT), Post Graduation Practical Training (PGPT) etc.

4.0 Identity of the candidate:

The candidate shall be verified with his original Identity-Card to ensure that he is enrolled with the institute or is enrolled with the GVTC/VTC or the mine served by the GVTC/VTC as the case may be. Employee of the mine appearing for Mining Mate's/Blaster's certificate of Competency or to be appointed as a competent person for maintenance and examination of safety lamps shall give a declaration to this effect to the management.

5.0 Facilities and infrastructure:

5.1 Government Technical Institutions and the Group Vocational Training Centres/Vocational Training Centres shall submit duly filled in proforma as per "Annexure-I" to the Chief Inspector of Mines (CIM) before issuing Gas Testing Certificate of Competency under the Mines Act, 1952 or its amended/new version for record.

5.2 If required, information submitted by the Technical Institution/GVTC/VTC may be verified by an Inspector or by a person authorized on his behalf of this Directorate appointed by the CIM for the purpose.

5.3 All the documents with Un-satisfactory verification report of the Technical Institution/GVTC/VTC shall be reviewed and addressed to Institute/owner of GVTC and VTC for rectification, if required.

6.0 Grant of Gas Testing Certificate of Competency:

6.1 The Technical Institution/GVTC/VTC shall conduct theoretical and practical classes of not less than 07(Seven) days as prescribed in the Eight Schedule of the Mine Vocational Training Rules, 1966 or its amended/new version and issue practical experience certificate in Gas Testing to the successful candidates.

6.2 Subsequently after issuance of practical experience certificate in Gas Testing by the Technical Institution as mentioned above, the Controller of Examination & Head of the Department (Mining) of the Institutions shall issue Gas Testing Certificate of Competency under the Mines Act, 1952 or its amended/new version as per Annexure-III to the successful candidates of their Institute after completion of their respective Degree or Diploma in Mining Engineering from the Institute.

6.3 Subsequently after issuance of practical experience certificate in Gas Testing by the GVTC/VTC to the employees of the mine as mentioned at point no 2.2, the Owner/Agent, Manager of the mine & In-charge/Vocational Training Officer of the GVTC/VTC shall issue Gas Testing Certificate of Competency under

the Mines Act, 1952 or it's amended /new version as per Annexure-III to the successful candidates after proper test to ensure their competency to test the presence of mine gases.

6.4 Subsequently after issuance of practical experience certificate in Gas Testing by the GVTC/VTC, the Owner/Agent, Manager of the mine & In-charge/Vocational Training Officer of the GVTC/VTC shall issue Gas Testing Certificate of Competency under the Mines Act, 1952 or it's amended/new version as per Annexure-III to the authorized candidates getting training in their mines or GVTC/VTC like Post Diploma Practical Training (PDPT), Post Graduation Practical Training (PGPT) etc.

7.0 Duties and responsibilities of issuing Authority:

7.1 The issuing authority shall ensure that the Gas Testing Certificate of Competency is issued only to the eligible candidates after proper training and/or test.

7.2 The issuing authority shall maintain accurate and detailed records of candidates who have been issued Gas Testing Certificate of Competency in a bound paged register or in an electronic non editable form with the details like candidate's name, certificate number, issue date etc.

7.3 The issuing authority shall submit to this Directorate the details of candidates to whom Gas Testing Certificate of Competency have been issued along with a true and certified coloured copies of the issued certificates.

7.4 The issuing authority shall develop an online portal within a year from the date of publication of this notification with intimation to this Directorate for online retrieval & verification of the issued Gas Testing Certificate of Competency at any time.

8.0 However, any amendments made in the Mines Act, 1952 and/or its sub ordinate rules, regulations and Bye-laws shall be applicable while grant of Gas Testing Certificates of Competency.

If there is any variation or doubt between English and Hindi versions of Bye-laws, then English version of Byelaws will prevail over the Hindi version.

[F. No. DGMS/EXAMS/CMR/BYE LAWS /2025/1]

UJJWAL TAH, Chief Inspector of Mines & Chairman, Board of Mining Examinations

Annexure-I

Details of Government Technical Institution imparting Degree or Diploma in Mining Engineering or other equivalent qualification approved in that behalf by the Central Government and Group Vocational Training Centre (GVTC)/Vocational Training Centre (VTC) as maintained under the Vocational Training Rules, 1966.

1	NAME OF THE GOVT. TECHNICAL INSTITUTION/GVTC/VTC.	
2	Name of Owner	
3	JURISDICTION (REGION)	
4	LOCATION	
	POST	
	DISTRICT	
	STATE	
	PINCODE	
5	TRANSPORT FACILITY:-	
	COMMUNICATION FACILITY- FAX NO:- INTERNET FACILITY:- TELEPHONE NO:-	
	CONTACT DETAILS- LANDLINE NO.: MOBILE NO OF I/C: E-MAIL ID OF I/C:	
6	INFRASTRUCTURE /REQUIREMENT CHECK LIST	
	FACILITIES	AVAILABILITY REMARKS

6.1	DARK ROOM		
6.2	INFRASTRUCTURE IN DARK ROOM DETAILS SUCH AS PROVISION OF: (A) EXHAUST FAN (B) LIGHTING (C) GAS TESTING CHAMBER (D) FIREFIGHTING EQUIPMENT'S (E) ETC.		
6.3	FLAME SAFETY LAMPS		
6.4	OTHER APPROVED APPARATUS/SYSTEM SUCH AS Methanometer*, Multigas Detector, Toximeter*, Oximeter, Explosimeter*, CO Detector, H ₂ S Detector, N ₂ O Detector, Hydrocarbon detector etc.) Note: * are mandatory apparatus		
6.5	TESTING FACILITIES:		
6.6	STRENGTH OF OFFICIALS TO IMPART TRAINING including Competent person as required under Reg. 179 of the CMR, 2017/Reg. 149 of the MMR, 1961		
6.7	KNOWLEDGE OF OFFICIALS REGARDING RELEVANT STATUTE & BYE-LAWS		
6.8	NAME OF TRAINING CENTRE IN- CHARGE Note: In case of Govt. Technical Institutions, the In-charge should be not below the rank of a Lecturer from Mining Discipline.		
6.9	CONTACT DETAILS		
6.10	TRAINING FACILITY AVAILABLE		
7.	ANY OTHER RELEVANT INFORMATION		

(Signature of the In-charge of VTC or GVTC / H.O.D (Mining) of Technical Institute)

अनुलग्नक-II

गैस परीक्षण में व्यावहारिक अनुभव प्रमाणपत्र के लिए प्रोफार्मा

PROFORMA FOR PRACTICAL EXPERIENCE CERTIFICATE IN GAS TESTING

संदर्भ सं./Ref. No.

तारीख/Date

यह प्रमाणित किया जाता है कि _____ (अभ्यर्थी का नाम) _____ (जिनका हस्ताक्षर नीचे संलग्न है), _____ का पुत्र/पुत्री को _____ से _____ तक खान के वातावरण में सामान्यतः उपस्थित गैसों को परीक्षण और पता लगाने का प्रशिक्षण दिया गया है और वह निम्नलिखित उपकरणों/संयंत्रों की कार्यप्रणाली से परिचित हैं:

This is to certify that _____ (Name of Candidate) _____ (whose signature is appended below) Son / Daughter of _____, has been trained in testing and detection of gases normally present in a mine environment from _____ to _____ and is familiar with the functioning of the following instruments/apparatus;

- 1.
- 2.

3.
4.
.
.
.

(कृपया गैस का पता लगाने वाले उपकरण का नाम बताएं (जैसे फ्लेम सेफ्टी लैंप*, मीथेनोमीटर*, मल्टीगैस डिटेक्टर, टॉक्सीमीटर*, ऑक्सीमीटर, एक्सप्लोसीमीटर*, CO डिटेक्टर, H₂S डिटेक्टर, N₂O डिटेक्टर, हाइड्रोकार्बन डिटेक्टर आदि)

(Please mention the name of gas detecting apparatus (e.g. Flame Safety Lamp*, Methanometer*, Multigas Detector, Toximeter*, Oximeter, Explosimeter*, CO Detector, H₂S Detector, N₂O Detector, Hydrocarbon detector etc.)

नोट / **Note:** * अनिवार्य उपकरण हैं/are mandatory apparatus

मेरी राय में वह खदान के वातावरण में सामान्यतः मौजूद गैसों की उपस्थिति का परीक्षण करने में सक्षम है/In my opinion he / she is able to test for the presence of gases normally present in a mine environment.

यह प्रमाण पत्र उन्हें खान अधिनियम, 1952 के तहत गैस परीक्षण सक्षमता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से जारी किया जा रहा है/This certificate is being issued to him / her for the purpose of obtaining **Gas Testing Competency Certificate** under The Mines Act, 1952.

तारीख/Date:

#(जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर /Signature of Issuing Official)

(व्यावसायिक प्रशिक्षण अधिकारी/जीभीटीसी/भीटीसी के प्रभारी/तकनीकी संस्थान के विभागाध्यक्ष/

(Vocational Training Officer/In-charge of VTC/GVTC/H.O.D. of Technical Institute)

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

(Signature of Candidate)

(जारीकर्ता अधिकारी की आधिकारिक मुहर /Official Seal of Issuing Official)

जारीकर्ता अधिकारी का नाम / Name of Issuing Official: _____

कंपनी/मालिक/तकनीकी संस्थान का नाम /Name of the Company/Owner/ Technical Institute: _____

पदनाम /Designation: _____

पूरा डाक पता /Complete Postal Address: _____

राज्य/State: _____ पिन कोड /Pin code: _____

उपरोक्त प्रमाणपत्र केवल तभी वैध माना जाएगा जब वह व्यावसायिक प्रशिक्षण नियम, 1966 के अंतर्गत संचालित व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र/समूह व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी, व्यावसायिक प्रशिक्षण अधिकारी या खनन इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा या केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अनुमोदित अन्य समकक्ष योग्यता प्रदान करने वाले सरकारी तकनीकी संस्थानों के विभागाध्यक्ष द्वारा जारी किया गया जहाँ खदान गैसों के परीक्षण हेतु आवश्यक अवसंरचना और प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध हो। उपर्युक्त अधिकारियों के अलावा किसी अन्य अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। व्यावहारिक अनुभव खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियम, 1966 की

आठवीं अनुसूची या इसके संशोधित संस्करण में निर्धारित व्यावहारिक अनुभव से कम नहीं होना चाहिए और इस अनुबंध के अनुसार गैस परीक्षण में व्यावहारिक अनुभव प्रमाणपत्र ही स्वीकार किया जाएगा।

Above certificate shall be considered valid only if issued by Vocational Training Officer, in-charge of the Vocational Training Centre/ Group Vocational Training Centre maintained under Vocational Training Rules, 1966 or Technical Institution imparting Degree/Diploma in Mining Engineering or other equivalent qualification approved in that behalf by the Central Government having necessary infrastructure and training facility for testing of mine gases. Certificate issued by any official other than those mentioned above shall not be considered. Practical experience not less than as prescribed in the Eight Schedule of the Mine Vocational Training Rules, 1966 or its amended version and the practical experience certificate in gas testing as per this Annexure shall only be accepted.

अनुलग्नक-III

संस्थान/ जी०भी०टी०सी०/भी०टी०सी०का नाम*
 प्रमाण पत्र संख्या/ Name of the Institution/GVTC/VTC*
 Cert. No. GT: खान विनियम, 1952/THE MINES ACT, 1952

 गैस परीक्षण सक्षमता प्रमाण-पत्र
 GAS-TESTING CERTIFICATE OF COMPETENCY

अभ्यर्थी का
 तस्वीर/PHOTO
 OF THE
 CANDIDATE

श्री/ कुमारी / श्रीमती* XXXXXXXX XXXXXX

सुपुत्र / सुपुत्री / पत्नी* XXXXXXXX XXXXXX

जिनकी जन्म तिथि 19-अप्रैल -2001 है, को विहित आहर्ताएं एवं अनुभव प्राप्त करने पर गैस-परीक्षण सक्षमता प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है। यह प्रमाण पत्र 08-जनवरी-2025 से प्रभावी है।

Shri / Kumari / Smt. * XXXXXXXX XXXXXXXX

Son / Daughter / Wife of* XXXXXXXX XXX

born on 19-APRIL-2001 and possessing the prescribed qualifications and experience is hereby granted GAS- TESTING CERTIFICATE OF COMPETENCY. The certificate is effective from 08.01.2025.

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

Signature of Candidate

परीक्षा नियंत्रक/जी०भी०टी०सी०/भी०टी०सी०का प्रभारी*

Controller of Examination/ Incharge of GVTC/VTC*
 Dept./Manager*

खनन विभागाध्यक्ष/प्रबंधक*

HoD of Mining

अभिकर्ता/मालिक*

Agent/Owner

हस्ताक्षर एवं मोहर/Signed and Sealed

दिनांक/Date

जीटी/GT

को/To

घर का पता /Home Address

ग्राम/Village -----

डाकघर/PO -----

थाना/Police Station -----

जिला/District -----

राज्य/State -----

पिन-कोड/Pin code -----

*जो भी लागू न हो उसे हटा दें / काट दें

*Delete / strike out whichever is not applicable

घोषणा: संस्थान/जीवीटीसी/वीटीसी* द्वारा अभ्यर्थी को जरि किए गए यह गैस परीक्षण सक्षमता प्रमाण पत्र, खनन परीक्षा बोर्ड द्वारा जारी अन्य वैधानिक सक्षमता प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन करने हेतु वैध होगा।

गैस परीक्षण सक्षमता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए संस्थान/ जीवीटीसी/ वीटीसी* द्वारा प्रस्तुत आधारभूत संरचना और सुविधाओं से संबंधित दस्तावेजों के मिथ्याकरण के मामले में मौजूदा कानून के अनुसार दंडित किया जा सकता है।

Declaration: This Gas Testing Certificate of Competency issued to the candidate by the Institution/GVTC/VTC* shall be valid for making application for other statutory certificates issued by the Board of Mining Examinations.

In case of falsification of the documents regarding infrastructure and facilities as submitted by the Institutions/GVTC/VTC* for issue of the Gas Testing Certificate shall be liable to be punished as per the extant law.

परीक्षा नियंत्रक/जी०भी०टी०सी०/भी०टी०सी०का प्रभारी*
विभागाध्यक्ष/प्रबंधक*

खनन

Controller of Examination/ Incharge of GVTC/VTTC*
Dept./Manager*

HoD of Mining

अभिकर्ता/मालिक*

Agent/Owner

द्वारा तैयार किया गया/Prepared by

द्वारा जाँचा गया /Checked by